

दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली में

(मूल कंपनी क्षेत्राधिकार)

कंपनी याचिका संख्या 2016 का 201 (सम्बंधित कंपनी आवेदन संख्या (एम) 2015 का 129)

कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 391 - 394 के मामले में; तथा व्यवस्था एव एकीकरण की योजना के मामले में

स्काईवे वेंचर्स लिमिटेड (याचिकाकर्ता संख्या 1 / अंतरक कंपनी) तथा

साई इंडस्ट्रीज लिमिटेड (याचिकाकर्ता संख्या 2 / अंतरिती कंपनी)

सूचना

कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 391 - 394 के अंतर्गत एक याचिका ऊपर नाम याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा 09.03.2016 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष स्काईवे वेंचर्स लिमिटेड (याचिकाकर्ता संख्या-1 / अंतरक कंपनी) तथा साई इंडस्ट्रीज लिमिटेड (याचिकाकर्ता संख्या-2 / अंतरिती कंपनी) की व्यवस्था और एकीकरण की योजना को स्वीकृति देने के लिए प्रस्तुत की गयी थी तथा याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता को सुनने के बाद यह याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के माननीय कंपनी न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के लिए 01.08.2016 को तय हो गई है।

कोई भी व्यक्ति याचिका के सहयोग अथवा विरोध हेतु इच्छुक है तो वह अपनी इच्छा की सूचना स्वम् के द्वारा अथवा अपने अधिवक्ता के द्वारा हस्ताक्षरीत अपने नाम तथा पते के साथ सूचना इस प्रकार प्रेषित करे, जो की याचिकाकर्ता कम्पनियों के अधिवक्ता के पास याचिका की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि से कम से कम पांच दिन पहले पहुंच जानी चाहिए। यदि वह याचिका के विरोध हेतु इच्छुक है तो विरोध के आधारों के साथ शपथपत्र की एक प्रति इस प्रकार की सूचना के साथ प्रस्तुत करनी होगी। याचिका की एक प्रति किसी भी व्यक्ति के द्वारा मांगे जाने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त के लिए निर्धारित राशि का भुगतान करने पर प्रदान की जाएगी

हस्ता (आनंद म. मिश्रा) अधिवक्ता

तिथि: 23.03.2016

ए-366, दूसरी मंजिल, सेक्टर-46, नॉएडा-201301